



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]  
No. 440]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 29, 1986/कार्तिक 7, 1908  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 1986/KARTIKA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

अधिसूचना

सा. धा. 797(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड  
(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य  
आर्बटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित  
नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आर्बटन)  
एक सौ अठ्ठाठा संगोत्रन) नियम, 1986 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बटन) नियम, 1961 में,—

(i) प्रथम अनुसूची में,—

(क) "1. कृषि मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के  
पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष अस्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
"1क. नागर विमानन मंत्रालय।";

(ख) "21. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्ष के पश्चात् निम्न-  
लिखित शीर्ष किया जाएगा, अर्थात्:—

"21क. रेल मंत्रालय  
(रेल बोर्ड)।";

(ग) "23. इस्पात और खान मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन  
प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष अस्त:स्थापित किया  
जाएगा, अर्थात्:—

"23क. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय।";

(घ) "25. परिवहन मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों  
का शेष किया जाएगा;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात्,  
निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां अस्त:स्थापित की जाएंगी  
अर्थात्:—

"नागर विमानन मंत्रालय

1. वायुयान और विमान नीचालन; हवाई अड्डों की व्यवस्था;  
हवाई यातायात और हवाई अड्डों का, विमान नीचालन से संबंधित  
स्वच्छता व्यवस्था के नियंत्रण के सिवाय विनियमन और संगठन।

2. वायुयान की सुरक्षा के लिए बीकन तथा अन्य व्यवस्थाएँ।
3. वायुमार्गों से यात्रियों और माल का बहन।
4. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (आई. सी. ए. ओ.)।
5. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई. ए. टी. ए.)।
6. इंटर्नैशनल एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सं. ए. टी. सी.)
7. काननैट्य एंडवाइजरी एरोनाटीकल रिसर्च काउंसिल (सं. ए. ए. ए. आर. सी.)।
8. वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के अधीन स्थापित निगम।
9. भारतीय होटल निगम।
10. मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा।
11. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण।
12. इस सूची में विनिश्चित मामलों में से किसी की बाबत विधियों के विशद अन्वय।
13. इस सूची में विनिश्चित मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए अधिकार।
14. इस सूची में विनिश्चित मामलों में से किसी के बारे में कीसँ किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में सी जाने वाली कीसँ नहीं जाती हैं।
15. इस सूची में विनिश्चित मामलों में से किसी से संबद्ध संधियों और करारों का कार्यान्वयन।
16. भारतीय हेलोकाप्टर निगम।

(ख) "कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के परवात् निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियाँ अस्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"रेल मंत्रालय  
रेल बोर्ड

1. सरकारी रेलें—सब विषय, जिनके अन्तर्गत वे विषय भी हैं, जो रेल राजस्व और व्यय से संबंधित हैं किन्तु जिनमें रेल निरीक्षणालय और रेल लेखा परीक्षा नहीं आते हैं।
2. गैर सरकारी रेलें—यहाँ तक वे विषय जहाँ तक उनके लिए भारतीय रेल अधिनियम में या सरकार और इन रेलों के बीच संधियों में या किन्हीं अन्य कानूनी अधिनियमितियों में, अर्थात् सुरक्षा, अधिकतम और न्यूनतम दरों और भाड़ों इत्यादि विषयक विनियमों में, यह उपबन्ध किया गया है कि उनका नियंत्रण रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) करेगा।
3. रेल सम्पत्ति के ऊपय से संबंधित अन्वयों, सरकारी रेलों और गैर सरकारी रेलों में अन्वयों से संबंधित अन्वयों से भिन्न, की बाबत संसदीय प्रश्न।
4. रेल कर्मचारियों पर लागू पेशा नियमों का प्रशासन।

(ग) "इस्पात और खान मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के परवात् निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियाँ अस्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"अल-भूतन परिवहन मंत्रालय

I निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत हैं :—

1. समुद्रीय नौबहन और नौपरिवहन; बाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था।
2. दीनस्तम्भ और दीनपीत।
3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) का प्रशासन और महापत्तन के रूप में घोषित पत्तन।

4. मोटर गाड़ियों का इतिवार्य बीमा।
5. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का प्रशासन।
6. राजमार्ग जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
7. नौबहन और परिवहन जिसके अन्तर्गत ऐसे अन्तर्वेशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल का बहन है जो संसद् द्वारा विधि द्वारा अन्तर्वेशीय जलमार्गों के विषय में राष्ट्रीय जलपथ घोषित किया गया है; ऐसे जलमार्गों पर मार्ग-नियम।

8. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग।

9. मत्स्य प्रवृत्त नौका उद्योग।

10. प्लवमान-यान उद्योग।

II. संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत :

11. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग।

12. नगरपालिका सीमाओं के भीतर ट्रामवे।

13. अन्तर्वेशीय जलमार्ग और उन पर यातायात।

14. मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) का प्रशासन और मोटर यानों पर कराधान।

15. अन्तर्वेशीय गाड़ियों से भिन्न गाड़ियाँ।

III. अन्तर्वेशीय और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत :

16. मुख्यभूमि द्वीपों और द्वीपों के बीच नौबहन सेवाओं का संगठन और अनुकरण।

4. अन्य विषय जो पूर्ववर्ती उप शीर्षकों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं :

17. केन्द्रीय सड़क विधि।

18. सड़क संकर्मों से सम्बद्ध समन्वय और अनुसंधान।

19. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित सड़क संकर्म जिनके अन्तर्गत संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारगो के भाग 1 और 2 में विनिश्चित, अस्तम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रायोगिक सड़कें और सड़क संकर्म नहीं हैं।

20. मोटर यान विधान।

21. अन्तर्वेशीय जलमार्गों पर अन्तर्वेशीय जलयान विषयक नौबहन और नौपरिवहन तथा अन्तर्वेशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल के बहन के संबंध में विधान।

22. सड़क और अन्तर्वेशीय जलमार्ग परिवहन की योजना।

23. मोटर परिवहन और अन्तर्वेशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारिता का अन्वयन।

24. गांधीयान नगरी का विकास।

25. लघु पत्तनों के विकास के संबंध में विधान और उसका समन्वय।

26. उन स्टाक कारों के सिवाय; जो रेल विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रण और प्रयोग के अधीन हैं, केन्द्रीय सरकार के स्टाक कारों की सविस और मरम्मत के लिए केन्द्रित व्यवस्थाएँ।

27. पत्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) का प्रशासन और पत्तन कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से भिन्न तदधीन निर्मित स्कीम।

28. राष्ट्रीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान।

29. लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन।

30. भारतीय पोत परिवहन निगम।

31. मुगल लाइन लिमिटेड।

32. कोचोन लिपवाई लिमिटेड।

33. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ।
34. भारतीय समुद्री निगम ।
35. केन्द्रीय अन्तर्वेणीय जल परिवहन निगम ।
36. भारतीय सड़क संनिर्माण निगम ।
37. दिल्ली परिवहन निगम ।
38. हुानो डाक एंड पोस्ट इंजिनियर्स लि. ।

(घ) "परिवहन मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों का धोरण किया जाएगा ;

(ङ) "सहरी विकास मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"14क. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन मन् 22 और 23 के अधीन रहते हुए सड़क पर प्राधारित प्रणाली की तकनीकी योजना सहित सहरी परिवहन प्रणाली की योजना और समन्वय तथा रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) के अधीन मन् 1 और 2 के अधीन रहते हुए रेल पर प्राधारित प्रणाली की तकनीकी योजना ।"

शैल सिंह, राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/86-मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

### CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 29th October, 1986

### NOTIFICATION

S.O. 797(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eighty eighth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 :—

(1) in the First Schedule,—

(a) after the heading "1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading shall be inserted, namely :—

"1A. Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)";

(b) after the heading "21. Ministry of Programme Implementation (Karyakram Karyanvayan Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely :—

"21A. Ministry of Railways (Rail Mantralaya) Railway Board (Rail Board)";

(c) after the heading "23. Ministry of Steel and Mines (Ispat aur Khan Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading shall be inserted, namely :—

"23A. Ministry of Surface Transport (Jal-Bhoothal Pariwahan Mantralaya).";

(d) the heading "25. Ministry of Transport (Pariwahan Mantralaya)" and the entries thereunder shall be omitted;

(2) in the Second Schedule,—

(a) after the heading "Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)

1. Aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitary Control of air navigation.

2. Beacons and other provisions of the safety of aircraft.

3. Carriage of passengers and goods by air.

4. International Civil Aviation Organisation (ICAO).

5. International Air Transport Association (IATA).

6. Commonwealth Air Transport Council (CATC).

7. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council (CAARC).

8. Corporations established under the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

9. Hotel Corporation of India.

10. Chief Commissioner of Railway Safety.

11. International Airports Authority of India.

12. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.

13. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

14. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.

15. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.

16. Helicopter Corporation of India.";

(b) after the heading "Ministry of Programme Implementation (Karyakram Karyanvayan Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board)

1. Government Railways—All matters, including those relating to Railway revenues and expenditure, but excluding Railway Inspectorate and Railway Audit.

2. Non-Government Railways—Matters in so far as provision for control by the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board) is provided in

the Indian Railways Act, 1890 or in the contracts between the Government and the Railways, or in any other statutory enactments, namely, regulations in respect of safety, maximum and minimum rates and fares, etc.

3. Parliament Questions regarding offences relating to pilferage of railway property other than offences relating to crime on Government Railways and Non-Government Railways.
4. Administration of pension rules applicable to railway employees.”;

(c) after the heading “Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)” and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

“Ministry of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Mantralaya)

I. The following subjects will fall within list I of the 7th Schedule to the Constitution of India :

1. Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the merchantile marine.
2. Lighthouses and lightships.
3. Administration of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and ports declared as major ports.
4. Compulsory insurance of motor vehicles.
5. Administration of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).
6. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.
7. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.
8. Ship-building and Ship-repair industry.
9. Fishing vessels Industry.
10. Floating craft industry.

II. In respect of the Union Territories :

11. Roads other than National Highways.
12. Tramways within municipal limits.
13. Inland waterways and traffic thereon.
14. Administration of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) and taxation of motor vehicles.
15. Vehicles other than mechanically propelled vehicles.

III. In respect of the Union territories of the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands :

16. Organisation and maintenance of mainland— islands and inter-island shipping services.

IV. Other subjects which have not been included under the previous sub-heads :

17. Central Road Fund.
18. Coordination and Research pertaining to Road Works.
19. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than rural roads and the road works in the tribal areas of Assam specified in Parts I and II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.
20. Motor vehicles legislation.
21. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.
22. Planning of Road and inland waterways Transport.
23. Promotion of Transport Cooperatives in the field of motor transport and inland water transport.
24. Development of townships of Gandhidham.
25. Legislation relating to and co-ordination of the development of minor ports.
26. Centralised arrangements for the servicing and repairs of staff cars belonging to the Central Government, except those under the control and use of Ministry of Railways (Rail Mantralaya) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).
27. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.
28. National Institute of Port Management.
29. Minor Ports Survey Organisation.
30. Shipping Corporation of India.
31. Mogul Lines Limited.
32. Cochin Shipyard Limited.
33. Hindustan Shipyard Limited.
34. Dredging Corporation of India.
35. Central Inland Water Transport Corporation.
36. Indian Roads Construction Corporation.
37. Delhi Transport Corporation.
38. Hooghly Dock and Port Engineers, Ltd.”

(d) the heading “Ministry of Transport (Pariwahan Mantralaya)” and the entries thereunder shall be omitted;

(e) under the heading "Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya)", after entry 14, the following shall be inserted, namely :—

"14A. Planning and Coordination of urban transport systems, with technical planning of road based systems being subject to items 22 and 23 under the Ministry of Surface Transport (Jal-Bhoothal Pariwahan Mantralaya) and technical planning of rail

based systems being subject to items 1 and 2 under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board)."

ZAIL SINGH,  
PRESIDENT

[No. 74/2/1/86-Cab]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.

